(1)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्र.क. /2016 निगरानी R 3908-I-16

श्री चन्दन सिंह गौड पिता सूरज गौड निवासी – मझौली, पोस्ट धनगवां, तहसील मझौली, जिला जबलपुर (म.प्र.)———**आवेदक**

बनाम

1– श्रीमती मोनिका गुप्ता पति श्री शैलेष गुप्ता

2– श्री शैलेष गुप्ता पिता स्व. वीरेन्द्रनाथ गुप्ता

निवासीगण– वार्ड न.–1 सिहोरा, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.)

3– मध्य प्रदेश शासन ———**अनावेदकगण**

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा – 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता–1959 विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त जबलपुर, संभाग जबलपुर के प्र.क. 171/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 18–10–2016 से परिवेदित होकर।</u>

एडवोकेट
म.प्र. उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड
ग्वालियर

माननीय,

आवेदक का निगरानी आवेदन–पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत हैः–

<u>प्रकरण के तथ्यः–</u>

संक्षेप में इस प्रकार है कि, भूमि ग्राम सिहोरा पटवारी हल्का नम्बर 06 (सिहोरा) राजस्व निरीक्षक मण्डल खितौला तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 1200/2 रकवा 0.082 हैक्टर आवेदक के स्वत्व स्वामित्व एवं

(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 3908/I/2016 निगरानी

जिला जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-2-2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दुष्यन्त कुमार सिंह द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त जबलपुर, संभाग जबलपुर के प्रकरण कमांक 171/अ-21/2015-16/अपील में पारित आदेश दिनांक 18-10-2016 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता-1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक द्वारा भूमि ग्राम सिहोरा पटवारी हल्का नम्बर 06 (सिहोरा) राजस्व निरीक्षक मण्डल खितौला तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 1200/2 रकवा 0.082 हैक्टर में से 3493.2 वर्गफुट भूमि अनावेदक कमांक-1 व 2 को विकय करने की अनुमति हेतु आवेदन कलेक्टर महोदय जिला जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे प्रकरण कमांक 437/अ-21/2013-14 पर पंजीवद्व कर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ भेजा गया कि वे आवश्यक जॉच उपरान्त अभिमत प्रस्तुत करें। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन तहसीलदार को जॉच प्रतिवेदन हेतु भेजा जिस पर से तहसीलदार द्वारा रा0प्र0क0 04/अ-21/13-14 में आवश्यक जांच उपरान्त अपना प्रतिवेदन दिनांक 24-3-2015 को अनुसंशा सहित अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित किया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा रा0प्र0क0 02/अ-21/2014-15 के माध्यम से उक्त प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रेषित किये जाने पर कलेक्टर द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 20-7-2015 पारित कर आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूमि विकय का आवेदन निरस्त किया। कलेक्टर के आलोच्य आदेश के विरूद्व आवेदक ने अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रकरण कमांक 171/अ-21/2015-16 प्रस्तुत की जो आलोच्य आदेश दिनांक 18-10-2016 द्वारा खारिज	

की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा ग्राम सिहोरा पटवारी हल्का नम्बर 06 (सिहोरा) राजस्व निरीक्षक मण्डल खितौला तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 1200/2 रकवा 0.082 हैक्टर भूमि में से उनके द्वारा 3493.2 वर्गफुट भूमि के विकय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर के समक्ष दिया गया था। उक्त आवेदन पर से कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी से जांच कराई गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार से जांच कराकर अपना प्रतिवेदन प्रेषित किया जिसमें भूमि विकय की अनुशंसा की गई किंतु कलेक्टर ने उक्त प्रतिवेदनों को अनदेखा कर यह मानकर कि भूमि का विकय पक्षकार के विरूद्व है आवेदन को निरस्त किया गया जिसे अपर आयुक्त महोदय द्वारा यथावत रखा जाने में न्यायिक त्रुटि की गई है।

उनका तर्क है कि, प्रश्नाधीन विकय की जाने वाली भूमि का उपयोग कृषि कार्य हेतु है परन्तु बाईपास में कुछ भाग निकल जाने से रकवा छोटा हो गया है जिस पर कृषि नहीं हो सकती आवेदक उक्त भूमि को विकय कर अन्यत्र भूमि कय करना चाहता है जिसके लिए रूपयों की आवश्यकता होने से उक्त भूमि को विकय की अनुमति दिया जाना आवश्यक है। विकय के पश्चात आवेदक के आर्थिक हितो पर विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा। उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि के विकय की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया है।

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कलेक्टर द्वारा उसे अनुविभगीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा। जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवित जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरान्त भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदनों में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आवेदित भूमि विक्रय अनुमति पश्चात आवेदक के पास 2.79 हैक्टर भूमि शेष बचेगी। अधीनस्थ न्यायालय ने मुख्य रूप से आवेदक को इस आधार पर प्रस्तावित भूमि विक्रय की अनुमति देने से इन्कार किया है कि भूमि एक तरह से निवेश की विषयवस्तु होती है जिसकी कीमतें भविष्य में लगातार वढती है आवेदित भूमि नगर पालिका क्षेत्र वस्ती एवं सडक से लगी है जिसकी भविष्य में और अधिक कीमत बढने की पूरी संभावना है अतः भूमि विक्रय से आवेदक आदिम जनजाति सदस्य के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव पडेगा। कलेक्टर का उक्त निष्कर्ष न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है क्योंकि आवेदक उक्त भूमि को विक्रय कर अन्यत्र भूमि क्रय करना चाहता है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आवेदक को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। दर्शित परिस्थितियेा में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिन आधारों पर अधीनस्थ न्यायालयों ने आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति देने से इन्कार किया है, वे आधार न्यायसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है इस कारण उनका आलोच्य आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-7-2015 एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-10-2016 निरस्त किये जाकर यह निगरानी स्वीकार की जाती है साथ ही आवेदक को उसके

भूमि स्वामित्व की ग्राम सिहोरा पटवारी हल्का नम्बर 06 (सिहोरा) राजस्व निरीक्षक मण्डल खितौला तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 1200/2 रकवा 0.082 हैक्टर में से 3493.2 वर्गफुट भूमि के विकय की अनुमति प्रदान की जाती है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश,ग्वालियर